

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

यह अध्याय अनुपूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित, बजटीय प्रक्रिया और आवंटित प्राथमिकताओं, की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक कार्यवाही लोक संसाधन के प्रभावी उपयोग का ब्यौरा देने के लिए एक माध्यम है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने से प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चित्र में दी गई है।



3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदान की मांग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में आदेशित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण को “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में रखा जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक-पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से भी अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं वितरण और अनुदान की मांग में होने वाले व्यय के अनुमान को संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाये जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु यह प्रावधान है।

उत्तराखंड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास है:


- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सूचना प्रेषित की जाती है, तथापि आकलनो और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं वितरण के अनुमानों को अंतिम रूप दे।
- राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से व्यय की वैधानिक स्वीकृति, अनुदानों /विनियोगों के लिए वार्षिक बजट और मांगों¹ को प्रस्तुत करके सुनिश्चित करती है।
- मूल बजटीय राशि से अधिक के व्यय को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त मांग/विनियोग दिया जाता है।

¹ 2021-22 के अनुदान/विनियोजन के लिए 31 मांग हैं।

- इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहां बचत पूर्वानुमानित हैं, से उन इकाइयों जहां अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

बजट के विभिन्न घटक नीचे चार्ट-3.1 में दर्शाये गए हैं:

चार्ट-3.1: वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश



विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत

शासन द्वारा कार्यान्वित

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में विहित प्रणाली पर आधारित।

3.2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य साथ ही इसके अतिरिक्त मतदेय/भारित में वर्गीकरण की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		वितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
54,099.98	10,912.42	41,619.58	9,074.77	(-) 12,480.40	(-) 1,837.65

स्रोत: विनियोग लेखे

3.2.2 भारत एवं मतदेय वितरण

2017-18 से 2021-22 तक कुल वितरण का भारत एवं मतदेय में विभाजन तालिका-3.2 में दिया गया है।

तालिका-3.2: 2017-18 से 2021-22 में वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2017-18	31,742.73	11,702.03	(-) 3,866.04	(+) 4,337.28
2018-19	34,617.56	14,778.29	(-) 4,950.03	(+) 6,308.38
2019-20	34,147.37	13,825.82	(-) 8,395.33	(+) 5,170.72
2020-21	38,726.01	1,3274.10	(-)9,201.42	(+)3,610.77
2021-22	41,619.58	9,074.77	(-)12,480.40	(-)1,837.65

श्रोत: विनियोग लेखे

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों 2017-18 से 2021-22 के दौरान दत्तमत में निरंतर बचत और 2017-18 से 2020-21 के दौरान भारित में निरंतर आधिक्य हुआ है। हालांकि, चालू वर्ष 2021-22 के दौरान भारित में बचत हुई है।

3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे कुल योग आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मदों दत्तमत एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, समर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधानों को समझने व अनुश्रवण करने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नि म ले प द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1.1 विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं करना चाहिए। राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम

द्वारा पुनर्विनियोग, पूरक अनुदान अथवा विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने को छोड़कर नई योजना पर व्यय हेतु निधियों का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि एक विभाग ने वर्ष के दौरान विधानमंडल के प्राधिकरण के बिना कुल ₹ 0.28 करोड़² का व्यय किया जैसा कि नीचे तालिका-3.3 में वर्णित है।

तालिका-3.3: बिना बजट प्रावधानों के व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोग	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/उपशीर्षों की संख्या
07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ	0.28	01

3.3.2 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः

व्यय और प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में विहित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण नामक “वार्षिक वित्तीय विवरण” (अथवा “बजट”) राज्य विधानसभा के दोनों सदनो में रखा जाता है। व्यय के अनुमान को ‘भारित’ (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और ‘दत्तमत’ मदों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि अध्याय-2 में व्याख्या की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व लेखों के व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है।

राज्य वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं। पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान प्राप्त करने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। पूंजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित यह वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होना चाहिए।

राजस्व प्रकृति के व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय में या इसके विपरीत, के कारण राजस्व व्यय और राजस्व घाटा/अधिशेष में अतिदर्शित/न्यूनदर्शित परिणामित होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे तालिका-3.4 में दिया गया है।

तालिका-3.4: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	06, 2245	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	19.64	वृहद कार्यों पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।
	उप-योग		19.64	

² तथापि, अनुदान संख्या 21 (ऊर्जा) में ₹ 249.64 करोड़ का व्यय वर्ष 2011-12 के ओ.बी. उच्चतम समाशोधन से संबंधित है।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
2.	15, 4225	राजस्व की पूँजीगत में बुकिंग	23.57	सहायता अनुदान, पर व्यय की पूर्ति पूँजीगत व्यय से की गई।
3.	23, 4859		2.00	
उप-योग			25.57	

आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व खंड में ₹ 19.64 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया है। यह व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबन्धित है। इसी प्रकार ₹ 25.57 करोड़ का व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज हुआ है। यह व्यय राजस्व खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान से संबन्धित है। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जहाँ स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों पर किए व्यय को पूँजीगत खंड में दर्ज किया गया हो। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने कहा कि इस संबंध में चालू वर्ष 2023-24 के दौरान सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

3.3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है-

- नये व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से “नये व्यय की योजनाएँ” नहीं
- प्रावधानों का न लिया जाना

जब इस तरह के अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाए जाते हैं और अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत को पुनर्विनियोग करने की कोई संभावना नहीं है, तो संबंधित विभाग के सचिव, वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों जो कि अप्रत्याशित हैं और जो पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, में संविधान में किए गए प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत अग्रिमों को अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा नियमित करना होगा और आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति करना होगा। एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पर्याप्त पुनर्विनियोग से सदैव बचना चाहिए। यह नया व्यय अपरिहार्य व अनिवार्य रूप से आवश्यक है या यह परिणामी अर्थव्यवस्था का उत्पादन करेगा या यह राजस्व या सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक है आदि वर्ष के दौरान नये व्यय को शुरू करने के लिए उचित औचित्य है।

हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों में यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि बजट में आवश्यकताओं का पूर्वाभास किया जा सकता था और प्रावधान नहीं किया गया है। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया केवल चूकों और दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए नहीं बनाई गयी है।


ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे तालिका-3.5 में दिखाया गया है:

तालिका-3.5: ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	03 मंत्रिपरिषद	182.43	0.85	75.09	108.19
2	04- न्यायिक प्रशासन	235.43	15.45	207.57	43.31
3	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,840.63	720.75	1499.19	1062.19
4	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	9,588.92	1211.91	9,354.87	1445.96
5	10- पुलिस व जेल	2,251.51	2.81	2,028.05	226.27
6	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	9,035.99	75.06	8,154.96	956.09
7	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,746.31	452.15	2,474.75	723.71
8	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	825.07	99.09	568.11	356.05
9	14-सूचना	276.75	118.40	383.41	11.74
10	15-कल्याण योजनाएं	1,880.83	462.61	1,645.71	697.73
11	16-श्रम एवं रोजगार	394.92	0.74	336.03	59.63
12	17- कृषि कार्य एवं शोध	1,093.40	48.06	1007.85	133.61
13	18- सहकारी	112.29	1.11	90.73	22.67
14	19-ग्रामीण विकास	910.46	136.20	758.73	287.93
15	22-लोक निर्माण	957.34	110.14	867.77	199.71
16	23-उद्योग	286.15	107.96	277.30	116.81
17	24- परिवहन	175.80	42.56	154.41	63.95
18	26- पर्यटन	113.57	15.12	79.20	49.49
19	27- वन	1,131.16	166.93	1120.66	177.43
20	28- पशुपालन	387.07	16.34	330.15	73.26
21	29- उद्यान विकास	367.23	34.63	332.34	69.52
22	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,425.17	82.43	870.62	636.98

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
23	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	395.25	31.01	286.52	139.74
योग		36,613.68	3,952.31	32,904.02	7,661.97
राजस्व (भारित)					
1	04- न्यायिक प्रशासन	54.41	5.08	47.99	11.50
2	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,356.13	200.00	5,148.56	1,407.57
योग		6,410.54	205.08	5,196.55	1,419.07
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	398.30	1.84	370.10	30.04
2	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	394.94	746.00	516.76	624.18
3	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	414.79	173.00	307.15	280.64
4	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	442.64	38.00	313.19	167.45
5	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,824.98	480.88	1,336.43	969.43
6	16-श्रम एवं रोजगार	92.01	25.00	51.15	65.86
7	19-ग्रामीण विकास	1403.17	722.67	1596.36	529.48
8	20- सिंचाई और बाढ़	767.66	44.99	254.17	558.48
9	22-लोक निर्माण	1,402.02	300.00	1,310.54	391.48
10	23-उद्योग	67.10	2.40	13.95	55.55
11	24- परिवहन	314.71	115.88	109.63	320.96
12	26- पर्यटन	122.40	30.00	111.23	41.17
13	28- पशुपालन	27.49	3.00	8.14	22.35
14	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	451.85	165.00	313.81	303.04
15	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	148.05	66.02	119.18	94.89
योग		8,272.11	2,914.68	6,731.79	4,455.00
महा योग		51,296.33	7,072.07	44,832.36	13,536.04



3.4 किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधि का अंतरण है। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखंड में पुनर्विनियोजन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया जिसके लिए पूर्व विधायी प्राधिकार की आवश्यकता हो।

3.4.1 अनावश्यक / अत्यधिक पुनर्विनियोग

चालीस प्रकरण जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक है, तालिका-3.6 में दर्शायी गई है:

तालिका-3.6: अधिक/अनावश्यक विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1	04-न्यायिक प्रशासन 2014 - न्याय प्रशासन 105-सिविल और सत्र न्यायालय 04-पारिवारिक न्यायालय	10.96	0.15	0.46	11.57	9.59	1.98
2	05 चुनाव 2015 चुनाव 103 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और छपाई 05 चुनाव स्थापना व्यय (50% केंद्रीय अंश)	14.43	0	1.87	16.30	14.54	1.76
3	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 99 - राजस्व बोर्ड 02-राजस्व आयुक्त स्थापना	5.44	0	0.15	5.59	4.41	1.18
4	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 107- गृह रक्षक 03-सामान्य स्थापना	111.69	10.00	5.64	127.33	126.07	1.26
5	07 वित्त, कर, नियोजन सचिवालय और विविध सेवाएं 2043 - राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार 101-संग्रह शुल्क 03-वाणिज्यिक कर स्थापना	92.15	0	0.58	92.73	81.93	10.80
6	08 आबकारी 2039 राज्य उत्पाद शुल्क 001 निदेशन और प्रशासन 03 स्थापना	8.29	1.83	0.19	10.31	7.19	3.12

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
7	10- पुलिस एवं जेल 2055 - पुलिस 001- निदेशन एवं प्रशासन 13 अधिष्ठान	10.83	0	0.55	11.38	9.32	2.06
8	10- पुलिस एवं जेल 2055 - पुलिस 001- निदेशन एवं प्रशासन 14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो	5.81	0	0.10	5.91	4.59	1.32
9	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 003-शिक्षा और प्रशिक्षण 04 शिक्षा और प्रशिक्षण गृह	16.32	0	0.13	16.45	13.71	2.74
10	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 108 राज्य पुलिस मुख्यालय 04 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल	51.75	0	1.25	53.00	42.73	10.27
11	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 111 रेलवे पुलिस 03 मुख्य	21.65	0	0.01	21.66	18.22	3.44
12	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 001- निदेशन एवं प्रशासन 03 मुख्यालय	47.11	0	24.95	72.06	64.35	7.71
13	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2202 - सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 104 निरीक्षण 03- क्षेत्रीय निरीक्षण	15.61	0	0.22	15.83	13.41	2.42
14	11- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2202-सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 101- निरीक्षण 03- - क्षेत्रीय निरीक्षण	28.71	0	0.14	28.85	25.46	3.39
15	11- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2204 खेल तथा युवा सेवाएं 001 निदेशन और प्रशासन 03- खेल निदेशालय	9.48	0.16	0.23	9.87	8.63	1.24

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
16	11- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2204 खेल तथा युवा सेवाएं 104 खेलकूद 35-ग्रामीण खेल एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना	0.50	0	14.00	14.50	12.84	1.66
17	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001 - निदेशन और प्रशासन 03- मुख्यालय स्थापना	22.77	0.77	0.73	24.27	20.00	4.27
18	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी 110- अस्पताल और औषधालय 23- गांधी सेंचुरी आई साइंस सेंटर की स्थापना	7.71	0	0.25	7.96	5.22	2.74
19	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 103- - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 03- - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	138.54	6.70	1.55	146.79	102.99	43.80
20	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 03- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों क स्थापना	176.53	4.55	1.88	182.96	138.43	44.53
21	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे और मध्यम शहरों का समेकित विकास 051- निर्माण 04- नगरों का समेकित विकास	22.00	0	15.00	37.00	33.44	3.56
22	14- सूचना 2220-सूचना तथा प्रसार 60-अन्य 001 - निदेशन और प्रशासन 03 अधिष्ठान व्यय	9.21	0	3.40	12.61	11.61	1.00

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
23	15-कल्याण योजनाएं 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 01 केंद्र पुरोनिधानित योजना	11.89	51.69	47.63	111.21	70.46	40.75
24	19-ग्रामीण विकास 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 32- गरीबी उन्मूलन, क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	15.62	0	0.20	15.82	12.85	2.97
25	19-ग्रामीण विकास 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 95-केंद्रीय योजनओ में राज्य का अंश	19.97	0	0.03	20.00	14.60	5.40
26	19-ग्रामीण विकास 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 102-सामुदायिक विकास 05- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधिक व्यय का भुगतान	20.00	0	23.00	43.00	13.24	29.76
27	20- सिंचाई एवं बाढ़ 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 02- नलकूप नहर एवं लघुडाल नहर निर्माण 001- निदेशन एवं प्रशासन 02-राज्य पोषित नलकूप एवं नहर निर्माण	3.00	0	3.50	6.50	3.63	2.87
28	20- सिंचाई एवं और बाढ़ बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर 4711 पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियंत्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 98 नाबार्ड वित्त पोषित	45.00	0	23.47	68.47	67.13	1.34
29	23- उद्योग 2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग 102- लघु उद्योग 03- स्थापना व्यय	21.42	0	0.30	21.72	17.74	3.98
30	24-परिवहन 3055- सड़क परिवहन 190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों की सहायता 12- उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा	60.00	42.00	0.34	102.34	83.13	19.21

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
	पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलस्वरूपहोने वाली हानी के समतुल्य घनराशि						
31	24-परिवहन 5053 - नागरिक उड़यन पर पूंजीगत परिव्यय 02- हवाई अड्डे 102- हवाई अड्डा 03- हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण	6.00	0	15.00	21.00	12.24	8.76
32	26-पर्यटन 5452पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 104-संवर्धन और प्रचार 04-राज्य क्षेत्र	60.93	30.00	43.00	133.93	99.22	34.71
33	27- वन 2406 - वानिकी और वन्य जीवन 02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन 110-वन्य जीव संरक्षण 95- केंद्रीय योजनाओ में राज्य का अंश	5.38	0	0.69	6.07	3.66	2.41
34	28- पशुपालन 2403 - पशुपालन 101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य 95- केंद्रीय योजनाओ में राज्य का अंश	1.06	0.70	0.10	1.86	0.11	1.75
35	29- औद्योगिक विकास 2401 - फसल कृषि कर्म 119- बागवानी और सब्जी की फसलें 07- शहतूत की खेती एवं रेशम विकास	16.42	0	0.55	16.97	14.62	2.35
36	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण 2225-अनुसूचित जाति, जाति जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 102- आर्थिक विकास 01-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	30.62	0	0.25	30.87	9.1	21.77
37	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण 2225-अनुसूचित जाति, जाति जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 - शिक्षा 95- केंद्रीय योजनाओ में राज्य का अंश	5.25	0	11.31	16.56	14.59	1.97

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
38	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277-शिक्षा 01- केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	21.84	4.73	12.01	38.58	23.72	14.86
39	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2225- अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 - शिक्षा 04-अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम पध्याति विद्यालय का संधारण	27.42	0	0.26	27.68	18.38	9.30
40	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 003 - प्रशिक्षण 01- केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	19.12	0	6.43	25.55	20.91	4.64

उत्तराखंड बजट नियमावली के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने अनुदान के अन्दर ₹ 766.86 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया। इसमें से ₹ 108.67 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च 2022) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोजन 40 प्रकरणों में से 27 प्रकरणों में (₹ 1.00 करोड़ से अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन प्रकरणों में बचत, पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। हालांकि, 2021-22 के दौरान पूंजीगत से राजस्व और इसके विपरीत और दत्तमत से भारित और इसके विपरीत पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहां चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम है, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा लापरवाह आकलन है, यह सामान्यतया क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि बजट में सब कुछ प्रदान करें जो कि देखा जा सकता है और केवल जहां तक उसकी आवश्यकता हो। प्रशासनिक व वित्त विभाग को आकलनों की लगातार, पूर्व आकलनों के औसत को ज्ञात अथवा पर्याप्त रूप से निकट तथ्य जिससे औसत परिवर्तित हो सकता है, जांच करनी चाहिए।

बचत, जिसे आदर्श रूप से समर्पित किया जाना चाहिए था, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना है, समर्पण के लिए जितना शीघ्र संभव हो रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया, अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनको वो व्यय कर सकते थे। समर्पण सामान्यतया मार्च माह में किए जाते हैं, व्यय के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विगत माह के व्यय की प्रगति का निरीक्षण नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित कोटि की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिये। जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को राशि का आकलन करना चाहिए जिसे समर्पित किया जा सकता है। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अवमुक्त करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय खाते से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित भी रखते हैं जिसे वो प्रयोग कर सकते थे।

अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण नीचे तालिका-3.7 में दिया गया है:

तालिका-3.7: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (मतदेय)								
1	03 मंत्रिपरिषद्	182.43	0.85	183.28	75.09	108.19	59.03	108.19
2	06 राजस्व व सामान्य प्रशासन	1,840.63	720.75	2,561.38	1,499.19	1,062.19	41.47	1,062.19
3	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	9,588.92	1211.91	10,800.83	9,354.87	1,445.96	13.39	1,445.96
4	10 पुलिस व जेल	2,251.51	2.81	2,254.32	2,028.05	226.27	10.04	226.27
5	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	9,035.99	75.06	9,111.05	8,154.96	956.09	10.49	956.09
6	12 चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,746.31	452.15	3,198.46	2,474.75	723.71	22.63	723.71
7	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	825.08	99.08	924.16	568.11	356.05	38.53	356.05
8	15 कल्याण योजनाएं	1,880.83	462.61	2,343.44	1,645.71	697.73	29.77	697.73
9	17 कृषि कार्य व शोध	1,093.40	48.06	1,141.46	1007.85	133.61	11.71	133.61
10	19 ग्रामीण विकास	910.46	136.20	1,046.66	758.73	287.93	27.51	287.93

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
11	22 लोक निर्माण	957.34	110.14	1,067.48	867.78	199.70	18.71	199.70
12	23-उद्योग	286.15	107.96	394.11	277.30	116.81	29.63	116.81
13	27 वन	1,131.16	166.93	1,298.09	1120.66	177.43	13.67	177.43
14	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	1,425.17	82.43	1,507.60	870.62	636.98	42.25	636.98
15	31 अनुसूचित जनजतियों का कल्याण	395.25	31.01	426.26	286.52	139.74	32.78	139.74
योग		34550.63	3707.95	38258.58	30990.19	7268.39	19.00	7268.39
राजस्व (भारित)								
1.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ	6,356.13	200.00	6,556.13	5,148.56	1,407.57	21.47	1,407.57
योग		6,356.13	200.00	6,556.13	5,148.56	1,407.57	21.47	1,407.57
पूँजीगत (मतदेय)								
1	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ	394.94	746.00	1140.94	516.76	624.18	54.71	624.18
2	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	414.79	173.00	587.79	307.15	280.64	47.74	280.64
3	12 चिकित्सा स्वस्थ्य व परिवार कल्याण	442.64	38.00	480.64	313.19	167.45	34.84	167.45
4	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,824.98	480.88	2305.86	1,336.43	969.43	42.04	969.43
5	19 ग्रामीण विकास	1403.17	722.67	2125.84	1596.36	529.48	24.91	529.48
6	20 सिंचाई एवं बाढ़	767.66	44.99	812.65	254.17	558.48	68.72	558.48
7	22 लोक निर्माण	1,402.02	300.00	1702.02	1,310.54	391.48	23.00	391.48
8	24 परिवहन	314.72	115.88	430.60	109.63	320.97	74.54	320.97
9	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	451.85	165.00	616.85	313.81	303.04	49.13	303.04
योग		7,416.77	2,786.42	10,203.19	6,058.04	4,145.15	40.63	4,145.15
महा योग		48,323.53	6,694.37	55,017.90	42,196.79	12,821.11	23.30	12,821.11

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, शासन ने 17 अनुदानों के अंतर्गत 25 प्रकरणों में ₹ 6,694.37 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मांगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष ₹ 12,821.11 करोड़ (26.53 प्रतिशत) की बचत थी। सरकार ने इन अनुदानों के अंतर्गत किसी भी राशि का समर्पण नहीं किया। बचत के कारण विनियोग लेखे में नहीं दिये गए।

3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

2021-22 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग का विवरण तालिका-3.8 में दिया गया है।

तालिका-3.8: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ, (2021-22 में)

क्र. स.	अनुदान संख्या व नाम	2017-2018 (प्रतिशत)	2018-2019 (प्रतिशत)	2019-2020 (प्रतिशत)	2020-2021 (प्रतिशत)	2021-2022 (प्रतिशत)	वर्षों की संख्या	बजट 2021-22 (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों का बजट (₹ करोड़ में)
1	01 विधायिका (पूँजीगत मतदेय)	97.73	99.84	76.93	17.29	15.00	2	13.00	90.90
2	03 मंत्रिपरिषद (राजस्व मतदेय)	81.35	84.03	78.91	80.82	40.97	1	183.28	433.02
3	04 न्यायिक प्रशासन (पूँजीगत मतदेय)	79.68	89.71	47.68	44.15	25.37	3	55.30	230.10
4	07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएँ (पूँजीगत मतदेय)	41.94	51.13	30.45	76.17	45.29	3	1140.94	2802.29
5	15 कल्याण योजनाये (पूँजीगत मतदेय)	31.82	47.17	64.17	47.87	31.33	4	107.60	513.78
6	16-श्रम और रोजगार (पूँजीगत मतदेय)	75.17	78.27	27.48	79.67	43.71	2	117.01	205.60
7	18 सहकारिता (पूँजीगत मतदेय)	24.95	66.98	99.98	0	0	3	80.00	290.93
8	20 सिचाई एवं बाड़ (पूँजीगत मतदेय)	115.64	78.16	52.23	36.00	31.28	2	812.65	2,932.97
9	23 उद्योग (पूँजीगत मतदेय)	9.38	36.37	54.86	9.15	20.08	4	69.50	365.79
10	24 परिवहन (पूँजीगत मतदेय)	87.36	7.43	17.56	0.11	25.46	4	430.60	1,392.10
11	28 पशुपालन (पूँजीगत मतदेय)	46.39	32.88	35.15	29.32	26.71	5	30.49	132.20

जैसा कि उपरोक्त सारणी 3.8 में वर्णित है, ग्यारह अनुदान में बजट प्रावधान का कम उपयोग (50 प्रतिशत से कम) प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि तीन विभाग अर्थात (i) कल्याण (ii) उद्योग और (iii) परिवहन विभाग विगत पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बजट आवंटन के 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और पशुपालन विभाग पिछले पांच वर्षों में बजट आवंटन का 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं था

3.5.2 ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च के अंत में ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण तालिका-3.9 में दिया गया है।

तालिका-3.9: मार्च के अंत में ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि
शून्य							

उत्तराखंड राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई धनराशि समर्पित नहीं की।

3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानो/विनियोगों की संख्या के वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानो/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.2 में दिया गया है:

चार्ट-3.2: उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानो/विनियोगों की संख्या के वितरण




जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, कि 14 अनुदानो/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य एवं 10 अनुदानों में उपयोगिता 50 से 70 प्रतिशत के मध्य, दो अनुदानों/विनियोगों में उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम तथा पाँच अनुदानों/विनियोगों, अर्थात् 02-राज्यपाल, 10-पुलिस एवं कारागार, 14-सूचना 21 ऊर्जा और 25-खाद्य में उपयोग बजट आवंटन के 90 प्रतिशत से ऊपर था।

3.5.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट-3.3 में दिया गया है:-

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण

(₹ करोड़ में)




जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, वर्ष 2021-22 के दौरान बजट के आंकड़ों की तुलना में ₹ 14,318 करोड़ की बचत हुई। तथापि, विभिन्न सरकारी विभागों को वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी राशि के समर्पण के लिए प्रस्तावित नहीं किया और न ही किसी विभाग द्वारा कोई धनराशि समर्पित की गई थी।

3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल और पूरक) और इसका उपयोग नीचे चार्ट-3.4 में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2017-18 से 2021-22 में बजट उपयोग



3.6 अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धनराशि उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किया जाता है, राज्यपाल ऐसे आधिक्य की मांग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेंगे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हैं कि राज्य विधान सभा वित्तीय वर्ष में अनुदानों/ विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण करें।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमितीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधान सभा द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

3.6.1 2021-22 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि खराब योजना का सूचक भी है जिससे इस उद्देश्य के लिए बनाए गये बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए बचाया जा सकता था। 2021-22 के दौरान ऐसा कोई प्रकरण नहीं देखा गया।

3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

उत्तराखंड बजट नियमावली के पैरा 151 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) और (2) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर उस वर्ष उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गयी है तो ऐसे आधिक्य के लिए विधान सभा में मांग प्रस्तुत की जाएगी और इसका समाधान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसे कि अनुदान के लिए मांग का किया जाता है।

2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण तालिका-3.10 में दिया गया है।

तालिका-3.10: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक व्यय का मुख्य शीर्ष वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9= 8-7	10
1.	16	2210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य.	119.26	0	119.26	127.73	8.47	अनुदान-16-विभाग द्वारा कारण. उपलब्ध नहीं कराया गया
2.	21	6801	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	48.00	0	48.00	289.73	241.73	अनुदान-21 वर्ष 2011-12 से संबंधित उचंत के समाशोधन के कारण अधिक व्यय।
कुल								250.20	

स्रोत:- विस्तृत विनियोग लेखें

3.6.3 कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण के साथ साथ वित्त विभाग की निगरानी अप्रभावी थी तथा बजट प्राक्कलन अनुमान वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए ऐसे अधिक व्यय राज्य विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह कार्यपालिका की ओर से एक गंभीर चूक है। निरन्तर आधिक्य व्यय बजट की तैयारी के समय अनुचित प्राक्कलन के कारण हो सकता है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान लगातार आधिक्य प्रदर्शित हुआ परन्तु वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी अनुदान में कोई आधिक्य नहीं देखा गया, जिसे नीचे तालिका-3.11 में दिया गया है:

तालिका-3.11: 2017-18 से 2021-22 तक के दौरान तीन अनुदानों में देखी गयी अधिकता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	अनुदान संख्या -25: खाद्य					
	कुल अनुदान	19.27	19.00	28.50	12.00	किसी भी अनुदान में लगातार अधिकता का मामला नहीं पाया गया
	व्यय	1,341.66	1,433.04	1,011.08	93.17	
	आधिक्य	1,322.39	1,414.04	982.58	81.17	
अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध						
2.	कुल अनुदान	2,640.23	3,182.00	2,876.31	3,503.31	किसी भी अनुदान में लगातार अधिकता का मामला नहीं पाया गया
	व्यय	7,651.62	10,230.14	9,096.03	8,269.59	
	आधिक्य	5,011.39	7,048.14	6,219.72	4,766.28	
3.	अनुदान संख्या -17: कृषि, निर्माण एवं शोध					
	कुल अनुदान	23.03	आधिक्य नहीं	25.00	11.03	किसी भी अनुदान में लगातार अधिकता का मामला नहीं पाया गया
	व्यय	26.75		37.18	27.22	
	आधिक्य	3.72		12.18	16.19	
अनुदान संख्या -17: कृषि, निर्माण एवं शोध						

स्रोत:- विनियोग लेखें

3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में परिकल्पित है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि विनियोग खाते के माध्यम से उस वर्ष के लिए अंतिम विनियोजन से अधिक किसी भी अनुदान या भारत विनियोग के तहत कोई व्यय किया गया था, तो व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधान सभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए। यद्यपि, 2005-06 से 2020-21 तक विगत वर्षों के ₹ 47,758.16 करोड़ के व्ययाधिक्य को विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना अभी शेष है। विनियमितीकरण के लिए लंबित अतिरिक्त व्यय का वर्ष वार विवरण तालिका-3.12 में दिया गया है।

तालिका-3.12: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	4	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	6	07,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	3	07,19 एवं 25	8,464.98	
2019-20	3	07,17 एवं 25	7214.48	
2020-21	06	07,17,18,19,25 एवं 29	4,884.55	
कुल			47,758.16	

स्रोत:- विनियोग लेखें

राज्य सरकार द्वारा इन व्ययाधिक्य का कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधानित है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने आश्वस्त किया कि राशि को विधान सभा/ पी ए सी द्वारा नियमित कराने के लिए कदम उठाएँ जाएंगे।

3.7 पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायक अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान है। परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ किसी संस्था को निर्दिष्ट उद्देश्य का समर्थन करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई जी ए एस 2) के अनुसार, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी के वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहां यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह देखा गया है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटा न्यूनदर्शित होता है।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण तालिका-3.13. में दिया गया है।


तालिका-3.13: पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	48	47	46	80	26
कुल पूंजीगत व्यय	5,914	6,184	5,414	6,538	7533
पूंजीगत व्यय में स अ का अंश (प्रतिशत में)	0.81	0.76	0.86	1.22	0.35
स अ से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने के फलस्वरूप राजस्व घाटे (-)/ राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182	(+)1,034	(+)4102

पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: पूंजीगत व्यय में सहायता



राज्य सरकार ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि में सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके फलस्वरूप राजस्व घाटे को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच 2.11 प्रतिशत से 4.58 प्रतिशत तक कम करके तथा वर्ष 2020-21 व 2021-22 में राजस्व अधिशेष को क्रमशः 0.63 प्रतिशत व 7.74 प्रतिशत तक अधिक दर्शाया गया।

बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी

एकमुश्त बजट प्रावधान

कोई एकमुश्त बजटीय प्रावधान नहीं किया गया।

3.8 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय अनुश्रवण तंत्र कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के प्रतिस्पर्धा विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच श्रेष्ठ आवंटन न हो पाने का कारण बनता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत, अन्य विभागों को उस धन से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान 31 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.14 में दी गई है।

तालिका-3.14: 2021-22 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	37567.54	3,954.36	41,521.90	33,684.33	(-)7,837.57	0.00	0.00
	II. पूंजीगत	9513.35	2,915.13	12,428.48	7,587.79	(-)4,840.69		
	III. ऋण एवं अग्रिम	149.60	0	149.60	347.46	(+)197.86		
	कुल	47,230.49	6,869.49	54,099.98	41,619.58	(-)12,480.40		
भारित	IV. राजस्व	6465.77	205.08	6,670.85	5244.62	(-)1,426.23	0.00	0.00
	V पूंजीगत	0	0	0	0	0		
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	4,241.57	0	4241.57	3830.15	(-)411.42		
	कुल	10,707.34	205.08	10,912.42	9,074.77	(-)1,837.65		
आकस्मिक निधि से विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0		
महायोग		57,937.83	7,074.57	65,012.40	50,694.35	(-)14,318.05		

स्रोत: विनियोग लेखें

जैसा कि उपरोक्त में दर्शाया गया है, बजटीय आंकड़ों से ₹ 14318.05, करोड़ की कुल निवल बचत हुई जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 14515.91 करोड़ की बचत का और ₹ 197.86 करोड़ के आधिक्य के प्रतिसंतुलन का परिणाम है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान कोई समर्पण नहीं किया गया।

2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट,पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.15 में दिया गया है।

तालिका-3.15: 2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021- 22
मूल बजट	39,957.78	45,585.09	48,663.90	53,526.97	57937.83
अनुपूरक बजट	3,015.75	2,452.40	2,533.90	4063.79	7074.57
पुनरीक्षित अनुमान	37,992.87	43,460.93	45,081.50	51,343.15	53130.62
वास्तविक व्यय	43,444.76	49,395.84	47,973.19	52,000.11	50694.35
बचत (-)/ आधिक्य(+)	(+) 471.23	(+) 1,358.35	(-)3,224.61	(-)5,590.65	(-)14318.05
बचत की प्रतिशतता	लागू नहीं	लागू नहीं	6.30	9.71	22.02

स्रोत:- संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़ तथा विनियोग लेखें

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए चार्ट-3.6 में दिया गया है

चार्ट-3.6: विनियोग लेखे में विचलन के स्पष्टीकरण का सार



2021-22 के दौरान,राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 1,203 विस्तृत शीर्षों के तहत व्यय निर्धारित किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,203 विस्तृत शीर्षों में से 897 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 प्रतिशत अथवा अधिक) देखी गयी। 897 विस्तृत शीर्षों में से केवल 8 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण दिया गया था। आगे, 1,203 विस्तृत शीर्षों में से 306 विस्तृत शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन विस्तृत शीर्षों में भिन्नता 20 प्रतिशत से कम थी।

3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग कई बार विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए विधायिका को प्रतिवेदित करते हैं, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। उसी जगह कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के इच्छित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

सरकार, वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कई नई नीतियों/ योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् एक बार की गतिविधि या आवृत्ती प्रकृति की होती हैं।

पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि
पूँजीगत (मतदेय)						
1	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	398.30	1.84	400.14	370.10	30.04
2	7 वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	394.94	746.00	1140.94	516.76	624.18
3	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	414.79	173.00	587.79	307.15	280.64
4	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	442.64	38.00	480.64	313.19	167.45
5	13 जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,824.98	480.88	2305.86	1,336.43	969.43
6	16 श्रम और रोजगार	92.01	25.00	117.01	51.15	65.86
7	19 ग्रामीण विकास	1403.17	722.67	2125.84	1596.36	529.48
8	20 सिंचाई और बाढ़	767.66	44.99	812.65	254.17	558.48
9	22 लोक निर्माण	1,402.02	300.00	1702.02	1,310.54	391.48
10	23 उद्योग	67.10	2.40	69.50	13.95	55.55
11	24 परिवहन	314.71	115.88	430.59	109.63	320.96
12	26 पर्यटन	122.40	30.00	152.40	111.23	41.17
13	28 पशुपालन	27.49	3.00	30.49	8.14	22.35
14	29 बागवानी विकास	20.5	0.44	20.94	15.94	5.00
15	30 अनुसूचित जातियों कल्याण	451.85	165.00	616.85	313.81	303.04
16	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	148.05	66.02	214.07	119.18	94.89
कुल		8,292.61	2,915.12	11,207.73	6,747.73	4,460.00

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं /परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी खंड के अंतर्गत ₹ 4,460.00 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता था।

3.10 विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन।

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अनुदान और मूल बजट के योजनाओं के अंतर्गत ₹ 766.86 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद पुनर्विनियोग का कोई प्रकरण नहीं हुआ है।

3.11 व्यय की तीव्रता

उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के प्रस्तर 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2021-22 के लिए पाँच मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2022 में किया गया, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका-3.17 में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.17: अनुदान, जहां केवल मार्च माह में ही 50 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया था (प्रतिशत में)


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में
1	2015	चुनाव	5.75	8.37	12.88	87.74	114.74	65.85	57.39
2	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	12.79	23.48	23.25	120.41	179.93	97.81	54.36
3	2408	खाद्य भंडारण और गोदाम	9.91	9.03	11.22	58.34	88.50	49.90	56.38
4	4700	प्रमुख सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (1)	0	22.53	19.59	76.47	118.59	68.08	57.41
5	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	0	14.38	11.30	71.83	97.51	58.31	59.80
कुल			28.45	77.79	78.24	414.79	599.27	339.95	56.73

मासिक व्यय में एकरूपता नहीं थी जैसा कि उत्तराखंड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि पाँच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय का 69.22 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में किया गया था। तथापि, माह के दौरान आहरित कोई धनराशि लोक लेखों में हस्तांतरित नहीं की गई थी।


मासिक प्राप्तियाँ और इन प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय का विवरण नीचे चार्ट-3.7 में दिया गया है।

चार्ट-3.7: वर्ष 2021-22 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय (₹ करोड़ में)



चुनाव विभाग में वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए मासिक व्यय विवरण के साथ माह मार्च 2022 में किए गए अधिकतम व्यय प्रतिशतता का विवरण नीचे चार्ट-3.8 में दिया गया है।

चार्ट-3.8: मार्च माह के अधिकतम व्यय प्रतिशतता के साथ चुनाव विभाग का माहवार व्यय



जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि चुनाव विभाग के अंतर्गत व्यय का 56 प्रतिशत व्यय माह मार्च 2022 में व्यय किया गया था। माह के दौरान विभाग द्वारा आहरित कोई राशि लोक लेखा में हस्तांतरित नहीं की गई।

3.12 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.12.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या-22: लोक निर्माण, 25:, खाद्यान्न के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई।

अनुदान संख्या 22. लोक निर्माण

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 15.45 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष से 12.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि तालिका-3.18 में सारांशित है।

तालिका-3.18: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2059 - लोक निर्माण 2216- आवास 3054-सड़कें और पुल	2019-20	841.38	51.90	893.28	666.68	226.60	25.37	लागू नहीं
	2020-21	966.86	20.00	986.86	769.70	217.16	22.01	15.45
	2021-22	957.34	110.14	1067.48	867.78	199.70	18.71	12.74
	योग	2,765.58	182.04	2,947.62	2,304.16	643.46	21.83	--

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान निरंतर बचत हुई। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान ₹ 182.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि विगत तीन वर्षों में मूल प्रावधान (₹ 2,765.58 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 2,304.16 करोड़) से अधिक था। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत उपखंड के एक उप शीर्ष (2059-80-051-03) विकास निर्माण कार्य में ₹ 5.68 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। उक्त शीर्ष में अंतिम बचत ₹82.14 करोड़ थी जो कि पूरक प्रावधान से अधिक थी। इसने आगे पाया गया कि प्रमुख शीर्ष 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 799-उचंत शीर्ष के तहत, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बिना किसी लेनदेन के ₹ 419.50 करोड़ की जमा राशि मौजूद है। समापन शेष विभिन्न पार्टियों (ठेकेदारों, कर्मचारियों, जमाकर्ताओं) से वसूली योग्य राशि को दर्शाती है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्ष 2059/3054/5054 के तहत 799 उचन्त शीर्ष के तहत कोई बजटीय आवंटन नहीं है। तथ्यि, 2021-22 के दौरान स्टॉक की खरीद के उदाहरण थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग मामले को संबन्धित विभाग के समक्ष उठाएगा।

इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति में विविधता थी। ₹ 20 करोड़ से अधिक के विचलन को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे तालिका-3.19 में दिखाया गया है।

तालिका-3.19: अनुदान में विगत वर्षों की तुलना में व्यय में बड़े अंतर की प्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
			2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1.	सड़कें और पुल जिला और अन्य सड़कें सड़क निर्माण का रखरखाव और मरम्मत	3054-04-337-03	18246.92	29826.09	38462.09	11579.17	8636.00	63.46	28.95

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 23.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021-22 के दौरान पूर्व वर्ष के सापेक्ष में 25.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसाकि नीचे तालिका-3.20 में सारांशित है।

तालिका-3.20: 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4059-लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय 5054-सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय	2019-20	1047.00	182.00	1229.00	848.83	380.17	30.93	-
	2020-21	1079.70	200.00	1279.70	1044.64	235.06	18.37	23.07
	2021-22	1402.02	300.00	1702.02	1310.54	391.48	23.00	25.45
योग		3528.72	682.00	4210.72	3204.01	1006.71	23.91	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 682.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 3,528.72 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 3,204.01 करोड़ से काफी अधिक था। आगे, सड़क एवं पुल (5054-04-337-03) के अंतर्गत एक उपशीर्ष राज्य क्षेत्र के सड़क कार्य में ₹ 100.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि उपशीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत ₹ 146.24 करोड़ थी जो उपशीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

अनुदान संख्या-22 में पिछले वर्षों की तुलना में प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक विचलन का विवरण तालिका-3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.21: पिछले वर्षों की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
			2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
			वित्तीय वर्ष						
1	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला और अन्य सड़कों कार्य केंद्र प्रायोजित योजना	5054-04-337-01	1090.97	8517.85	23045.69	7426.88	14527.84	680.76	170.56
2	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला और अन्य सड़क कार्यराज्य क्षेत्र	5054-04-337-03	52824.04	62073.14	80744.38	9249.10	18671.24	17.51	30.08
3	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला और अन्य सड़क कार्य नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित	5054-04-377-98	25402.64	25952.10	22127.55	549.46	-3824.55	2.16	-14.74

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख।

मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों के भीतर विचलन की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्ष के दौरान व्यय विचलन विगत वर्ष की तुलना में (-)14.74 प्रतिशत से 170.56 प्रतिशत के बीच था। यह अनुदान के लघु शीर्षों में अनुपयुक्त व्यय प्रवृत्ति को दर्शाता है।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष के अन्त में विभाग 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र बजट आवंटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था (₹ एक करोड़ को आधार के रूप में लिया गया है)।

तालिका-3.22: 2019-20 से 2021-22 के दौरान अनुपयोगी समग्र प्रावधान की सारांशीकृत स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1.	2019-20	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला एवं अन्य सड़कों, जीर्ण स्लिप जोन के उपचार हेतु सड़क कार्य का प्रावधान	5054-04-337-06	500.00	0.00	500.00
2.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय प्रमुख शहरों में नलिकाएं बिछाने का कार्य	5054-05-337-03	500.00	0.00	500.00
3.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सामान्य निवेश, उत्तराखंड बुनियादी ढांचा विकास निगम को शेयर पूंजी	5054-80-190-03	300.00	100.00	400.00
उप योग						1400.00
4.	2020-21	सड़कों एवं पुलों, जिला एवं अन्य सड़कों पर पूंजीगत परिव्यय, जीर्ण स्लिप जोन के उपचार हेतु सड़क कार्य का प्रावधान	5054-04-337-06	500.00	0.00	500.00
5.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, प्रमुख शहरों में सड़क कार्य नलिकाएं बिछाने का कार्य	5054-05-337-03	500.00	0.00	500.00
6.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सामान्य निवेश, उत्तराखंड बुनियादी ढांचा विकास निगम को शेयर पूंजी	5054-80-190-03	400.00	0.00	400.00
उप-योग						1400.00
7.	2021-22	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, प्रमुख शहरों में सड़क कार्य, नलिकाएं बिछाने का कार्य	5054-05-337-03	500.00	0.00	500.00
8.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सामान्य निवेश, उत्तराखंड बुनियादी ढांचा विकास निगम को शेयर पूंजी	5054-80-190-03	200.00	0.00	200.00
उप-योग						700.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

जैसाकि देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कुछ योजनाओं में लगातार पूर्ण बजट का उपयोग नहीं करने के प्रकरण विद्यमान थे।

द. प्राप्तियाँ

2019-20 से 2021-22 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष-0059, 0216 एवं 1054 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.23 में सारांशित है।

तालिका-3.23: अनुदान के मुख्य शीर्ष-0059, 0216 एवं 1054 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
0059-लोक निर्माण	2019-20	41.16	41.16	52.59	11.43	27.77
	2020-21	45.62	41.16	62.19	21.03	51.09
	2021-22	20.12	37.62	46.27	8.65	22.99
0216-आवास	2019-20	10.50	10.50	7.80	(-)2.7	(-)25.71
	2020-21	10.50	7.50	7.42	(-)0.08	(-)1.07
	2021-22	8.00	7.73	7.72	(-)0.01	(-)0.13
1054-सड़कें और पुल	2019-20	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100
	2020-21	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100
	2021-22	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

यद्यपि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.24 में दिया गया है।

तालिका-3.24: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
1.	0059-01-011 (किराया)	2019-20	0.03	0.03	0.30	0.27	900.00
		2020-21	0.09	0.09	2.21	2.12	2355.56
		2021-22	0.09	1.09	1.25	0.16	14.68
2.	0059-01-103 (प्रतिशत प्रभार की वसूली)	2019-20	3.50	3.50	31.73	-28.23	-806.57
		2020-21	3.50	3.04	24.13	21.09	693.75
		2021-22	3.50	20.00	16.40	-3.60	-18.00
3.	0059-01-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2019-20	37.63	37.63	20.56	-17.07	-45.36
		2020-21	42.03	38.03	35.86	-2.17	-5.71
		2021-22	16.53	16.53	18.62	2.09	12.64
4.	0216-01-106 (सामान्य पूल आवास)	2019-20	10.50	10.50	7.80	-2.70	-25.71
		2020-21	10.50	7.50	7.42	-0.08	-1.07
		2021-22	8.00	7.73	7.72	-0.01	-0.13
5.	0216-02-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2019-20	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
		2020-21	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
		2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
6.	1054-102-01 (स्थायी पुलों पर रोड टैक्स)	2019-20	0.01	0.01	0	-0.01	-100.00
		2020-21	0.01	0.01	0	-0.01	-100.00
		2021-22	0.01	0.01	0	-0.01	-100.00

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल तीन मुख्यशीर्ष है जिसके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं और प्राप्तियों को मुख्यतः पाँच लघु शीर्ष³ में दर्ज किया जाता है।

अनुदान संख्या-25: खाद्य

अ. राजस्व व्यय

2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय में 89.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 11.86 प्रतिशत की और वृद्धि हुई, जैसाकि तालिका-3.25 में सारांशित है।

तालिका-3.25: 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2408-खाद्य भंडारण एवं गोदाम	2019-20	224.32	1.27	225.59	48.52	177.07	78.49	-
	2020-21	222.49	0.65	223.14	92.14	131	58.71	89.90
3456- नागरिक आपूर्ति	2021-22	163.47	0.11	163.58	103.07	60.51	36.99	11.86
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं								
	कुल	610.28	2.03	612.31	243.73	368.58	60.19	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान लगातार बचत हुई। इस अवधि के दौरान, ₹ 2.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 610.28 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 243.73 करोड़ से कहीं अधिक था। विगत तीन वर्षों के लिए इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय

³ 011-किराया, 103- प्रतिशत प्रभार की वसूली, 800- अन्य प्राप्तियाँ 106- सामान्य पूल आवास और 01- स्थायी पुलों पर रोड टैक्स

की प्रवृत्ति में विचलन हुआ है। ₹ 20 करोड़ से अधिक के योजना परिव्यय के लिए अनुदान के लघु शीर्षों के अंतर्गत उपशीर्ष स्तर पर कोई अनुचित व्यय पैटर्न नहीं था।

ब. पूँजीगत व्यय

विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 90.79 प्रतिशत की कमी और 2021-22 में 450.25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जैसा कि तालिका-3.26 में सारांशित है।

तालिका-3.26: 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति
(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4408- खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूँजीगत परिव्यय	2019-20	28.50	0	28.50	1011.08	(+)982.58	(+)3447.65	-
	2020-21	12.00	0	12.00	93.17	(+)81.17	(+)676.42	-90.79
	2021-22	518.02	0	518.02	512.67	(-)5.35	(-)1.03	450.25
कुल		558.52	0	558.52	1616.92	(+)1058.40	(+)189.50	--

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान अधिकता हुई थी। हालांकि, 2021-22 में बचत देखने को मिली है।

अनुदान संख्या 25 में पिछले वर्षों की तुलना में प्रत्येक उपशीर्ष के अंतर्गत ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक की भिन्नताओं का विवरण तालिका-3.27 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.27: अनुदान संख्या 25 में पिछले वर्षों की तुलना में व्यय में व्यापक विचलन की प्रवृत्ति
(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
			2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1.	खाद्य भंडारण और गोदाम, पर पूँजीगत परिव्यय, खाद्य खरीद, और आपूर्ति सीएसएस	4408-01-101-01	100940.25	9167.41	51156.92	(-)91772.84	41989.51	(-)90.92	458.03

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति हेतु खाद्यान्न उपार्जन हेतु मुख्य शीर्ष 4408 के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरित करता है। उक्त खाद्यान्न की बिक्री पर हुई वसूली को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। मुख्य शीर्ष 4408-01-101 के तहत खाद्यान्न की खरीद के लिए धन के वितरण, वसूली और प्रगतिशील शेष की स्थिति तालिका-3.28 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.28: पूंजीगत शीर्ष 4408 के तहत खाद्यान्न की खरीद और आपूर्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति	वर्ष के दौरान वसूली	प्रगतिशील व्यय
2019-20	568.67	1.15	2,789.03
2020-21	69.79	0.00	2,858.82
2021-22	492.87	0.00	3,351.69

स्रोत: वित्तीय लेखे।

मार्च 2022 तक ₹ 3351.69 के प्रगामी शेष का विभाग के प्रोफार्मा लेखाओं से मिलान नहीं किया गया क्योंकि यह 2015-16 से तैयार नहीं किया गया था। आगे, वर्ष 2014-15 के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तुलन पत्र के विवरण की उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे से तुलना करने पर यह पाया गया कि तुलन पत्र में स्टॉक का अन्तिम शेष ₹ 217.95 करोड़ दर्शाया गया था जबकि वित्त लेखे अंतिम शेष को ₹ 361.57 करोड़ दर्शाता है। इस प्रकार ₹ 143.62 करोड़ का अंतर था जिसे राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जा रहा है।

समापन गोष्ठी के दौरान सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांचा जाएगा। खाद्य विभागों को वर्ष 2015-16 से आगे के वार्षिक लेखे शीघ्र तैयार करने एवं प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.29 में दिया गया है।

तालिका-3.29: 2019-20 से 2021-22 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2019-20	खाद्य, भंडारण और गोदाम, खाद्य सब्सिडी केंद्रीय योजना/ केंद्र प्रायोजित योजना	2408-01-102-01	10000.00	0.00	10000.00
2		खाद्य, भण्डारण एवं गोदाम, खाद्य सब्सिडी, चीनी वितरण योजनान्तर्गत परिवहन एवं कर का भुगतान	2408-01-102-05	1000.00	0.00	1000.00
3		खाद्य, भण्डारण एवं गोदाम, खाद्य सब्सिडी, राज्य खाद्य योजना	2408-01-102-06	5500.00	0.00	5500.00

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
4		खाद्य भंडारण एवं गोदाम, पर पूंजी गत परिव्यय, खाद्य अन्य व्यय, गोदामों का निर्माण	4408-01-800-05	300.00	0.00	300.00
5	2020-21	खाद्य, भंडारण और खाद्य सब्सिडी राज्य खाद्य योजना	2408-01-102-06	5000.00	0.00	5000.00
6		अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, बाट और माप का विनियमन, केंद्रीय योजना / केंद्र प्रायोजित योजना	3475-106-01	200.00	0.00	200.00
7		खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूंजी परिव्यय, अन्य व्यय खाद्य आयुक्त के भवन का निर्माण	4408-01-800-04	100.00	0.00	100.00
8	2021-22	खाद्य, भंडारण और गोदाम, खाद्य सब्सिडी, राज्य खाद्य योजना	2408-01-102-06	3357.50	0.00	3357.50
9		खाद्य भंडारण और खाद्य गोदाम खाद्य खरीद और आपूर्ति, सी एस एस में राज्य का हिस्सा पर पूंजी परिव्यय	4408-01-101-95	100.50	0.00	100.50

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

2019-20 से 2021-22 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0408, 1456 और 1475 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.30 में सारांशित है।

तालिका-3.30: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0408, 1456 और 1475 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/ कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
0408-खाद्य भंडारण और गोदाम	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020-21	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
	2021-22	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
1456 - नागरिक आपूर्ति	2019-20	0.40	0.40	0.38	(-)0.02	(-)5.00
	2020-21	0.40	0.61	0.90	0.29	47.54
	2021-22	0.65	0.70	0.75	0.05	7.14
1475 - अन्य	2019-20	7.99	8.99	8.70	(-)0.29	3.23

लेखा शीर्ष		बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2020-21	9.49	6.09	6.70	0.61	10.02
	2021-22	7.99	7.99	7.74	(-)0.25	(-)3.13

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.31 में दिया गया है।

तालिका-3.31: मुख्य शीर्ष -0408,1456,1475 के अंतर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
1.	0408-101-01	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
		2021-22	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
2.	0408-800-01	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
		2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	1456-800-01	2019-20	0.40	0.40	0.38	-0.02	-5.00
		2020-21	0.40	0.61	0.90	0.29	47.54
		2021-22	0.65	0.70	0.75	0.05	7.14
4.	1475-106-01	2019-20	7.00	8.00	7.27	-0.73	-9.13
		2020-21	8.50	5.50	5.32	-0.18	-3.27
		2021-22	7.50	7.50	5.89	-1.61	-21.47
5.	1475-200-03	2019-20	1.00	1.00	1.34	0.34	34.00
		2020-21	1.00	0.60	1.28	0.68	113.33
		2021-22	0.50	0.50	1.67	1.17	234.00

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत प्राप्तियों के विश्लेषण दर्शाते हैं कि तीन मुख्य शीर्ष⁴ हैं जिनके अन्तर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं।

⁴ 0408-खाद्य भंडारण और गोदाम, 1456-नागरिक आपूर्ति और 1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

3.13 निष्कर्ष

- 2021-22 के दौरान, ₹ 65,012.40 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के सापेक्ष ₹ 14,318.05 करोड़ की कुल बचत हुई।
- 40 प्रकरणों में ₹ 7,072.07 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 40 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- विधायी स्वीकृति के बिना वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक की अवधि से संबन्धित व्ययाधिक्य की धनराशि ₹ 47,758.16 करोड़ को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 19.64 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबंधित था, जिसे सामान्यतः पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार, ₹ 25.57 करोड़ का व्यय पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। यह व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि, यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य और रख-रखाव से संबंधित था।

3.14 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार को अपने बजटीय आकलन में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत का आकलन और समर्पण कर सकती है ताकि अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।*
- *राज्य सरकार को राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय में एवं पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय में दर्ज करने के प्रकरणों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।*

